संख्या-388/2924/5142/41-1-2024-001-सी0एन0-1799581-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवासात
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक15 मार्च, 2024

विषय- **मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में स्थित नगर निगम सीमान्तर्गत यमुना कियारे रोड पर यमुना बैंक की ओर काली माता मंदिर पर सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युका विषयक उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन, उार प्रदेश के पत्र से 5167/सु०प०वि०स०यो०/96-चित्रकूर/2023, दिनांक 18.10.2023 का कृपया सत्रार्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अतर्गत खात्री पर्यटन विकास सहभागिता पोजना के अन्तर्गत **जनपद आगरा में स्थित नगर निगम सीमान्तर्गत यमुना कियारे रोड पर यमुना बैंक की ओर काली माता मंदिर पर सौन्दर्यीकरण के कार्य** हेतु मगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा सहमति पत्र सहित आगणन (डी०पी०आर०) धनराशि रु० 298.56 लाख के प्रस्ताव को तैयार कराते हुए वितीय वर्ष 2023-24 में पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 15-05-2023 द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के अनुसार पचास-पचास प्रतिशत की सहभागिता पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पद संख्या-06-ामंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुखामंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत **जनपद आगरा में स्थित नगर निगम सीमान्तर्गत यमुना किनारे रोड पर पगुना बैंक की ओर काली माता मंदिर पर सौन्दर्याकरण के कार्य** हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा सहमति पत्र सहित उपलब्ध कराये गए आगणन रू0 298.86 लाख के दृष्टिगत **आगरा विकास प्राधिकरण** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत रु० 294.99 लाख जी०एस०टी० सहित (नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की लागत **रु० 289.68 लाख** एवं उ०प्र० ललित कला अकादमी द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की आंकलित धनराशि रू० 05.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **(50 प्रतिशत की धनराशि रू0 147.495 लाख पर्यटन विभाग द्वारा तथा 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 147.495 लाख नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा)** एवं राज्य सरकार पर भारित धनराशि रू0 147.495 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.75 लाख (रूप) पचहत्तर हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

मात्र) इस शर्त के अधीन निर्गत की जानी है कि सहभागिता योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.75 लाख (रू० पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा भी साथ ही देय होगी।

3- प्रायोजय के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(1) पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु नमित कार्यदायी संस्था आगरा विकास प्राधिकरण सें एक सप्ताह के अन्दर परियोजना के कार्यो को कराये जाने हेतु सहमति प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) म्यूरल आर्ट वर्क का कार्य उ0प्र0 ललित कला अकादमी से कराया जाना है। इस हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा आंकलित धनराशि रू0 05.31 लाख (रू0 पाँच लाख इकत्तीस हजार मात्र) सीधे उ0प्र0 ललितकला अकादमी के खाते में हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3 प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने के पूर्व महानिदेशक, कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगा। ई-टेन्डरिंग प्रकिया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिका अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आई0टी0/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) परिधोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्र को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकत अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यथ टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(8) अवमुका की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आप-व्यपक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित रातों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्क्षित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि बार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(9) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वापस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यप आवश्यकतानुसार तथा विल विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रहीं धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(12) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाप कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई- परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(13) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आप-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्क्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्ताकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय- भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(16) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकत एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचार संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। प्रायोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारीयों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्रास आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(19) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्थाको कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्पक परीक्षण करने के परवा ही अवमुक्त की जाप तथा अवयुका की जा नहीं धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संक्त एवं तिथि की सूचना शासन पूर्व महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्शित किया जायेगा।

(20) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा मह सुनिक्षित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एस-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(21) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीप क्लीयरेन्स सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(23) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रम उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रम किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 75,000 (रू० पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023- व्य-व्ययक में अनुदान संख्या-44 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का नक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस 2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदेव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0, शासन।
4 जिलाधिकारी, आगरा ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
7. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. निदेशक, उ0प्र0, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक- 8,9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-71
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से.

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।